कार्यालय, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
शंकरनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

Phone No. 0771- 2442241 / Fax No. 0771 – 2443596 E-mail Address : scertcg@gmail.com

एम.एड. 2011–12 हेतु
प्रवेश नियम

1. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर (शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर) शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाईनगर में शैक्षिक सत्र 2011–12 में एम.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेश हेतु निम्नांकित वर्गों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं :–

(अ) स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं/शाला के प्राचार्य/ व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक, समकक्ष वर्ग के अन्य कार्यरत पदाधिकारी, (सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला एवं उच्चतर माध्यमिक, शाला) एवं उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत शिक्षाकर्मी वर्ग–1 एवं 2 ।

(ब) आदिवासी कल्याण विभाग की शालाओं के प्राचार्य/ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं/उच्च श्रेणी शिक्षक, समकक्ष वर्ग के अन्य कार्यरत पदाधिकारी (सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला एवं उच्चतर माध्यमिक शाला) एवं उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत शिक्षाकर्मी वर्ग–1 एवं 2 ।

(स) अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं एवं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक।

(द) सीधी भर्ती हेतु पात्रताधारी आवेदक (जो सेवा में नहीं है)।

2. निर्धारित स्थानः–

संस्था का नाम	शिक्षा विभाग	अ.जा.कल्याण विभाग	अशासकीय संस्था (अनुदान प्राप्त)	सीधी भर्ती	कुल योग
	प्राचार्य/व्याख्याता/ उ.श्रे.शि. /शिक्षाकर्मी वर्ग–1, 2	प्राचार्य/व्याख्याता/ उ.श्रे.शि. /शिक्षाकर्मी वर्ग–1, 2	प्राचार्य/व्याख्याता /शिक्षक		
1. शास.शि.महा.रायपुर	15	13	3	04	35
2. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर	15	13	3	04	35
3. कल्याण महावि. सेक्टर–6, भिलाईनगर	–	–	–	35	35
कुल योग	**30**	**26**	**06**	**43**	**105**

टीपः

I. क्रमांक 01 (अ) तथा 01 (ब) के अनुसार वरीयता क्रम में प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक, शिक्षाकर्मी वर्ग–1, 2 का चयन किया जायेगा।

II. 01(स) के अनुसार छत्तीसगढ़ के अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं एवं शालाओं के प्राचार्यों, व्याख्याताओं, उच्च श्रेणी शिक्षकों तथा समकक्ष वर्ग में कार्यरत अन्य पदाधिकारियों के लिए दोनों शासकीय महाविद्यालय में तीन–तीन स्थान निर्धारित है।

पात्र आवेदकों के आवेदन निर्धारित संख्या मे उपलब्ध न होने पर रिक्त पद सीधी भर्ती वाले आवेदकों से भरे जायेंगे।

3. **न्यूनतम अर्हताएँ: उपरोक्त वर्ग 'अ', 'ब', 'स' के लिए–**

1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड. परीक्षा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक में कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण आवेदक एम.एड. प्रवेश के लिए पात्रता रखते हैं।

3) बी.एड. की परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो।

4) आवेदक की आयु दिनांक 01.07.11 को 55 वर्ष से अधिक न हो।

5) पत्राचार पाठ्यक्रम के बी.एड. उपाधि प्राप्त करने वाले भी एम.एड. में आवेदन कर सकते हैं।

4. **न्यूनतम अर्हताएँ उपरोक्त वर्ग 'द' के लिए :–**

1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड. परीक्षा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक खण्डों में कम से कम 55 प्रतिशत अंक हो अर्थात् बी.एड. 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण आवेदक एम.एड. प्रवेश के लिए पात्रता रखते हैं।

2) पत्राचार पाठ्यक्रम से बी.एड. उपाधि प्राप्त करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं।

3) बी.एड. परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण की गई हो, इस प्रकार का बंधन इस वर्ग के लिए नहीं हैं।

4) आवेदक की आयु शासन द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार मान्य होगी।

5) आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।

6) अच्छे आचरण का प्रमाण–पत्र अंतिम संस्था के प्राचार्य का प्रस्तुत किया जावे।

5. **प्रवेश हेतु शर्ते :–**

1) स्कूल शिक्षा विभाग, अ0जा0कल्याण विभाग एवं अशासकीय शालाओं के आवेदकों का चयन प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। आवेदकों को अपनी वरिष्ठता संबंधी जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

2) उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान बिलासपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के चयन किये गये आवेदकों को प्रशिक्षण अवधि में कार्यरत मानकर नियमानुसार वेतन दिया जावेगा किशिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में एम.एड. के चयनित छात्राध्यापकों हेतु वेतन व्यवस्था पूर्व संस्था के द्वारा ही की जाएगी। शिक्षा कर्मी वर्ग–1, 2 की वेतन व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

3) अ0जा0कल्याण विभाग के चयनित आवेदकों के वेतन आदि की व्यवस्था उनके विभाग द्वारा पूर्व वर्षों की भांति ही की जाएगी। शिक्षाकर्मी वर्ग–1, 2 की वेतन व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी।

4) (क) अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं एवं शालाओं के आवेदकों को संस्था की प्रबंध समिति का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण काल में आवेदकों को अध्ययन अवकाश तथा पूरा वेतन दिया जावेगा।

(ख) अनुदान प्राप्त संस्थाओं एवं शालाओं में प्रशिक्षण में भेजे गये शिक्षक के स्थान पर यदि कोई स्थानापन्न नियुक्ति की जाती है, तब उक्त संस्था द्वारा इस नियुक्ति हेतु पृथक से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी। प्रशिक्षण पश्चात् शिक्षक को कम से कम दो वर्ष की सेवा उसी संस्था में देनी होगी।

5) आवेदकों के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है।

6) चयनित समस्त आवेदकों को संबंधित शिक्षा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शुल्क आदि का भुगतान करना होगा।

7) अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8) प्रवेश लेने के उपरांत एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण की मांगनहीं की जावेगी।

9) चयन होने एवं प्रवेश न लेने अथवा प्रशिक्षण बीच में छोड़ देने पर आगामी दो वर्षों तक आवेदक को चयन हेतु अपात्र माना जावेगा।

10) सीधी भर्ती के स्थानों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जाति के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। महिलाएँ/विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/पूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पाल्यों के लिए आरक्षित स्थान शासन के नियमानुसार रहेंगे। आरक्षित वर्ग के पात्र आवेदकों के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति छ.ग.बी.एड.प्रवेश नियम के अनुसार सीटों को परस्पर परिवर्तन कर की जायेगी।

11) वर्ग (अ), (ब) एवं (स) के आवेदकों ने विगत तीन वर्षों में तीन माह से अधिक समयावधि का एक से अधिक प्रशिक्षण शासकीय खर्च पर न लिया हो।

12) चयन का आधार सीधी भर्ती के लिए बी.एड. के प्राप्तांक एवं विभागीयआवेदकों के लिए वरिष्ठता रहेगी। उम्मीदवारों के वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी। आयु की समानता होने की स्थिति में बी.एड. के प्राप्तांकों के आधार पर किया जायेगा। सीधी भर्ती हेतु प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।

13) अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक के लिए उनके द्वारा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र देना होगा तभी उनके आवेदन को मान्य किया जायेगा।

14) अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक अपने संस्था प्रमुख से स्टाम्प पर कार्यरत है इसक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :–

(1) **वर्ग (अ) एवं (ब) के लिए –**

स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी कल्याण विभाग के आवेदकों को प्रवेशहेतु निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र अपनी संस्था के प्रधान से अग्रेषित करना होगा। संस्था प्रधान आवेदन एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को दिनांक 14.06.11तक भेजेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को दिनांक 25.06.11 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे। एक अग्रिम प्रति सीधे महाविद्यालय भेजी जावे। शासकीय शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यरत आवेदक अपने संस्था प्रमुख के माध्यम से आवेदन पत्र सीधे संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करेंगे। यह आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम प्रति होगी। उचित माध्यम से एक प्रति दिनांक 25.06.11 तक अनिवार्यतः भेजेंगे।

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर के संबद्ध शिक्षा जिला :–

1. रायपुर	2. महासमुंद	3. दुर्ग	4. राजनांदगांव	5. कवर्धा
6. बस्तर	7. दंतेवाड़ा	8. धमतरी	9. कांकेर	10. बेमेतरा
11 बलौदाबाजार				

उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर के संबंद्ध शिक्षा जिला :–

1. बिलासपुर	2. कोरबा	3. जांजगीर	4. रायगढ़	5. जशपुर
6. सरगुजा	7. सूरजपुर	8. रामानुजगंज	9. कोरिया	

एम.एड. में प्रवेश हेतु शिक्षा महाविद्यालय से संबंधित जिलों से प्राप्त आवेदनों को वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध सीटों पर चयन किया जावेगा।

(2) **वर्ग (स) के लिए :–**

अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं/शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं के आवेदक अपना आवेदन पत्र अपनी संस्था के प्राचार्य से अग्रेषित कराकर दिनांक 14.06.11 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजें।

जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करके उपरोक्तानुसार संबंधित शिक्षा महाविद्यालय की ओर दिनांक 25.6.11 तक भेजेंगे।

(3) **वर्ग (द) के लिए :–**

सीधी भर्ती हेतु आवेदक जिस भी शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं वे बी.एड. की वि.वि. परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 7 दिवस के अंदर संबंधित संस्था के प्राचार्य को अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे।

(4) आवेदन पत्र के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. तथा आयु संबंधित प्रमाण पत्राकी सत्य प्रतिलिपियाँ भी आवेदकों को संलग्न करनी है। सीधी भर्ती के आवेदकों को क्षम अधिकारी जो तहसीलदार से अनिम्न पद का हो, द्वारा प्रमाणित छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए) आचरण प्रमाण पत्र एवं टी.सी. मूलतः संलग्न करना हैं।

(5) कार्यालय संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को सीधे भेजे गये किसी भी श्रेणी के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(6) प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्र के आवेदकों से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा।

(7) विभागीय सीटों के लिए निर्धारित दिनांक 25.06.11 के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं सीधी भर्ती के लिए बी.एड. विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित होने के सात दिवस के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(8) चयन समिति में संचालक परिषद् के द्वारा नामित दो प्रतिनिधि होंगे शेष प्रतिनिधि में से एक–एक आदिम जाति विकास विभाग (सहायक विकास आयुक्त से अन्यून), शिक्षा विभाग से स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी सम्मिलित किये जायेंगे।

प्रवेश के समय चाहे गये प्रमाण–पत्र पूर्ण सही व नियमानुसार पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। मूल प्रमाण–पत्र की जाँच प्रवेश देते समय संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा। जाँच के दौरान प्रमाण–पत्र सही व नियमानुसार न पाये जाने पर आवेदक को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी और संबंधित प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं बिलासपुर में एम.एड.पाठ्यक्रम के लिए निम्नानुसार प्रवेश शुल्क निर्धारित है :–

गैर छात्रावासी	3595 रू. प्रति छात्र (वार्षिक)
छात्रावासी	5495 रू. प्रति छात्र (वार्षिक)

Sd/-
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर

एम.एड. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र
सत्र 2011–12

प्रति,

प्राचार्य,

01. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
02. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर
03. कल्याण महाविद्यालय, से0–6, भिलाई नगर

विषयः एम.एड.प्रवेश हेतु सत्र 2011–12 आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम (उपनाम सहित) : . . . .
2. ई मेल : . . . .
3. टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर : . . . .
4. पद (यदि सेवारत हो तो) : . . . .
5. विभाग स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण/अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/अन्य : . . . .
6. कार्यरत संस्था का नाम व पता : . . . .
   फोन नंबर : . . . .
7. क्या आप सीधी भर्ती के आवेदक हैं? हाँ/नहीं : . . . .
8. (अ) क्या आप अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला/संस्थान में सेवारत हैं? हाँ/नही ....
   (ब) यदि हाँ तो क्या आप ने अपनी संस्था की प्रबंधन समिति का विज्ञापन की कंडिका क्रमांक (5) (4) (क) में वर्णित प्रमाण–पत्र संलग्न हैं? हाँ/नहीं :. . . . . ..
9. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	उपाधि का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	मा.शि.मं./वि.वि. का नाम एवं जहां से उपाधि प्राप्त की है	विशेष
1.	माध्यमिक					
2.	उच्चतर माध्यमिक					
3.	स्नातक					
4.	स्नातकोत्तर					
5.	बी.एड.					
6.	पी.एच.डी.					

(अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)

10. शासकीय सेवा के आवेदकों के लिए–
    (अ) वर्तमान पद : . . . .
    (ब) पद पर नियमित/स्थायी है अथवा नहीं (स्पष्ट करें):. . . . .
11. जन्म तिथि (अंकों में): . . . . . (शब्दों में) : . . . .
    (जन्म तिथि हेतु आयु संबंधी प्रमाण–पत्र)
12. दिनांक 01.07.11 को आयुः वर्ष ....माह.......................दिन........................
13. नियुक्ति दिनांक :(अ) प्रथम नियुक्ति दिनांक......................पद...
    (ब) वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक ....पद ....
14. विभागीय आवेदकों के लिए कंडिका 5 (11) के अनुसार विगत तीन वर्षों में शासकीय व्यय पर किये प्रशिक्षण की अवधि एवं विवरणः

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	स्थल

15. क्या एम.एड.पाठ्यक्रम के लिए 5 (9) के अनुसार विगत दो वर्षों की अवधि में प्रवेश हेतु चयन किया था?

यदि हाँ तो चयन के पश्चात् प्रवेश न लेने अथवा प्रवेश लेकर पाठ्यक्रम अपूर्ण छोड़ देने के कारणों का विवरण दें।

16. निम्नलिखित में से जिसका सत्य प्रतिलिपि संलग्न हो उनके सामने सही का चिन्ह (✔) लगायें।

(1) माध्यमिक शाला की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
(2) उच्चतर माध्यमिक शाला की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
(3) स्नातक की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
(4) स्नातकोत्तर की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
(5) बी.एड. की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
(6) पी.एच.डी. की उपाधि की सत्य प्रतिलिपि।
(7) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
(8) जाति प्रमाण–पत्र (केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के सीधी भर्ती के आवेदकों के लिए) की सत्य प्रतिलिपि।
(9) विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/पूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पाल्य होने का प्रमाण–पत्र।
(10) आचरण प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
(11) राज्य एवं राट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि।

17. क्षेत्र की संस्था का नाम जहाँ के लिए पात्र हैं: ....

18. दी गई जानकारी की सत्यता का प्रमाणीकरण:

मैं ....यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। गलत पाये जाने पर मुझे प्रवेश से वंचित किया जाना स्वीकार है। मैं संस्था तथा विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूँगा/करूंगी। मैंने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ आवेदन पत्र में संलग्न कर दी हैं। यदि एम.एड. प्रशिक्षण हेतु मेरा चयन होता है तो मैं निर्धारित संस्था में पूरे सत्र प्रशिक्षण प्राप्त करूंगा/करूंगी।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
नाम ....
पद ....
पता ....
(जिस पर पत्र व्यवहार किया जा सके)

19. शिक्षक आवेदक के लिए अग्रेषणकर्ता का प्रमाण–पत्र:

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों का उसके अभिलेख से मिलान कर लिया गया है और वे सही पायी गई है। आवेदक संस्था में गत .... वर्ष से ....पद पर पदांकित है। आवेदक का कार्य व व्यवहार .... हैं।

दिनांक ....

अग्रेषणकर्ता के हस्ताक्षर
पद मुद्रा

20. स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय के आवेदक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्रः

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियाँ विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करतीं है। आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं/संस्थान में ....पद पर कार्यरत हैं तथा नियमित पद पर हैं।

दिनांक ....

प्रति हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
पद मुद्रा

21. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के विद्यालयों के आवेदकों के लिएः

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक अजा, अजजा, अपिव एवं अ.क.विभाग में .... पद पर कार्यरत हैं।

प्रति हस्ताक्षर
सहायक आयुक्त
अ.जा., अ.ज.जा., पि.वर्ग एवं अ.क.विभाग
पद मुद्रा
......................संभाग (छ.ग.)

22. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक के लिए निम्नलिखित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। (शपथ पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर देना अनिवार्य होगा)

मैं ....पिता..उम्र...................... दिनांक ....से ....तक ....संस्था में .... पद पर कार्यरत हूँ। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद 6 साल तक इसी संस्था में कार्य करता रहूंगा। एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर तथा शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर के सदस्य इस 6 साल की अवधि में मेरे संस्था में आकर इसकी जांच कर सकेंगे। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर एवं पता

गवाह के हस्ताक्षर तथा पता

1. ....
2. ....

23. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था के आवेदक के संस्था प्रमुख से निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता...पता... मेरी संस्था में दिनांक...................... से ....तक कार्यरत है। मेरी संस्था को................... सत्र से शासन से मान्यता प्राप्त है।

उक्त आवेदक एम.एड.प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लगातार 6 वर्षों तक मेरी संस्था में कार्य करते रहेंगे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
नाम ....
पता : ....

कार्यालय, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
शंकरनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

Phone No. 0771- 2442241 / Fax No. 0771 – 2443596E-mail Address : scert_raipur@yahoo.co.in

क्र. / एम.एड.प्रवेश / 2011–12 / 1610 रायपुर, दिनाँक 20 / 05 / 2011

प्रति,

प्राचार्य,

1. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
2. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर
3. कल्याण महाविद्यालय, सेक्टर–6, भिलाई

विषयः एम.एड.प्रवेश सत्र 2011–12 बाबत् ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान बिलासपुर, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाईनगर में एम.एड.पाठ्यक्रम सत्र 2011–12 हेतु प्रवेश नियम आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है ।

विवरणिका के अनुसार चयन समिति का गठन कर एम.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करें एवं परिषद् को अवगत करावें। अध्यापन कार्य 11.07.11 से अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

संलग्न :– एम.एड.प्रवेश नियम एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति।

Sd/-
संचालक

पृ.क्र. / एम.एड.प्रवेश / 2011–12 / रायपुर, दिनाँक / 05 / 2011

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय डी.के.एस.भवन, रायपुर
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर
3. आयुक्त, अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पं.रविशंकर वि.वि. परिसर, रायपुर
4. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर
5. संचालक, नगरीय नियोजन विभाग, रायपुर

Sd/-
संचालक